भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3893
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः बीटी कपास की खेती

3893. डॉ. गणपथी राजकुमार पी:
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या देश में ट्रांसजेनिक बीटी कपास की खेती की जा रही है और हाल ही में उभर रही एक नई बीमारी और तम्बाकू स्ट्रीक वायरस (टीएसवी) के कारण देश में बीटी कपास की उत्पादकता में गिरावट आ रही है;
(ख) क्या कपास के संबंध में फसल विशिष्ट बैठक के दौरान कपास उत्पादकों द्वारा की गई मांग के अनुसार वाणिज्यिक खेती के लिए एचटीबीटी के वैध उपयोग की मांग की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा एक अन्य ट्रांसजेनिक किस्म एचटीबीटी को वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के संबंध में लिए गए अथवा लिए जाने वाले निर्णय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क): बीटी कॉटन देश में व्यावसायिक खेती के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा 2002 में अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसल है। कपास उत्पादक क्षेत्रों में टोबैको स्ट्रीक वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं, तथापि, उपज में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं देखी गई है। पिछले तीन वर्षों में कपास की उपज वर्ष 2022-23 के लिए 443 किग्रा/हेक्टेयर, वर्ष 2023-24 के लिए 436 किग्रा/हेक्टेयर और वर्ष 2024-25 के लिए 465 किग्रा/हेक्टेयर (तीसरा अग्रिम अनुमान) है।

(ख) से (घ): बीज उद्योग संघ और कुछ किसान एचटी बीटी कॉटन को जारी करने की मांग कर रहे हैं। एचटीबीटी कपास के विकासकर्ता बोलगार्ड II राउंडअप रेडी फ्लेक्स (बीजी-II आरआरएफ) ने एचटीबीटी कपास को पर्यावरणीय रूप से जारी करने के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

*****